अनवीय आरव सहारण बनाम अजब सिंह
वाद मुकदमा नं 61 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आरएएस

वाद पत्र संख्या 61 / 2024
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

आरव सहारण पुत्र श्री अजब सिंह, जाति जाट, आयु 21 वर्ष, निवासी वार्ड न0 4 चक मनफूल सिंह वाला, 18 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

...... वादी

बनाम

1. अजब सिंह पुत्र स्व० श्री लाधूराम, जाति जाट आयु वर्ष निवासी वार्ड न0 4 चक मनफूलसिंह वाला, 18 एलएनपी, तह० व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग	वादी
अधिवक्ता श्री विरेन्द्र बिश्नोई	प्रतिवादी 1
पैरोकार राज	(प्रति.3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 2 पुराना 4 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1/1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक सालम कुल 4.8070 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी मय खाला कुल दोनो मुरब्बाजात 11.1320 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है और उपरोक्त समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता स्व० श्री लाधूराम से प्राप्त हुई है तथा समस्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि है। उपरोक्त समस्त कृषि भूमि में वादी का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से 1/2–1/2 हक व हिस्सा है व इसी अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हक व हिस्सा अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। वादी अपने 1/2 हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त है । उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है तथा वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु ब्यान करने के लिए कहा गया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 आज–कल कहकर टाल–मटोल करते रहे और आज से दस रोज पूर्व इन्कार हो गये। यही बिनाय दावा है, जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल है। यह कि वादी को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना बिना वाद लाये सम्भव नही रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सके । प्रतिवादी संख्या 2 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा श्रीगंगानगर के पास प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि रहन है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है। इसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है । प्रतिवादी संख्या 3 जो कि भूमि धारी है, इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें बतौर प्रतिवादी संख्या 3 पक्षकार बनाया गया है। इसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

अधिकारी (राजस्व)
...नगर

वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर विषयवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

(क) डिक्री वादी के पक्ष में इस आशय की पारित की जावे कि कृषि भूमि चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 2 पुराना 4 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1/1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक सालम कुल 4.8070 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी मय खाला कुल दोनो मुरब्बाजात 11.1320 हैक्टेयर नहरी मय खाला में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर बराबर के अधिकारी है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझें व वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह कि द्वितिय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 20 एलएनपी पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 2 पुराना 4 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1/1 ता 4, ता 14, 17 ता 23 प्रत्येक सालम कुल 4.8070 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी मय खाला कुल दोनो मुरब्बाजात 11.1320 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। द्वितिय पक्ष व प्रथम पक्ष पिता पुत्र है। उपरोक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण वादी/प्रथम पक्ष का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1/2 द्वितिय पक्ष के साथ जन्म से 1/2 हक व हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि को लेकर घोषणात्मक विभाजन एवं शाश्वत व्यादेश का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रथम पक्ष के द्वारा पेश किया गया था जो विचाराधीन है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है और पिता पुत्र है, इसलिए रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों ने मिल बैठ कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा करवा दिया है । राजीनामा के अनुसार उपरोक्त वर्णित द्वितिय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/2 – 1/2 हिस्सा के बराबर बराबर के अधिकारी है और इसी अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्सा दिया गया है। पक्षकारान के मध्य अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है तथा अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर पक्षकारान काबिज हो गये और काश्त कर रहे है। उपरोक्त हिस्सा अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पक्षकारान द्वारा प्रस्तूत राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया जावें ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 20 एलएनपी, पटवार क्षेत्र 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 2/4 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा भूमि के विरासतन साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी ग्राम 20 एलएनपी, पटवार क्षेत्र 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 85/66 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त जमाबन्दियों के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पैतृक होना साबित होती है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति हो चुकी है। वादी

अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 20 एलएनपी, पटवार क्षेत्र 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 2/4 में कुल भूमि 11.1320 में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 दोनो को 1/2–1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.02.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner